राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग, जयपुर

क्रमांकः एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2015/ दिनांकः 30.09.2015

परिपत्र -13

विषय :-राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के अद्यतन एवं आधार सीडींग के अभियान के साथ भामाशाह योजना से सम्बंधित कार्यो के सम्पादन बाबत।

जैसा कि आपको विदित हैं राज्य में 10 अक्टूबर, 2015 से 09 नवम्बर, 2015 तक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के अद्यतन एवं आधार सीडींग के लिए प्रगणकों द्वारा घर-घर जाकर सूचनाएं एकत्रित की जाएगी। इस अभियान के दौरान भामाशाह योजना प्लेटफार्म के माध्यम से राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ हस्तांतरित किये जाने संबंधित निम्न शेष सूचनाओं का संकलन भी प्रगणकों के माध्यम से करवाना सुनिश्चित किया जाए:-

1. किसी परिवार को भामाशाह प्लेटफॉर्म से लाभ वितरण करने के लिए परिवार संबंधित शेष सूचनाए यथा आधार संख्या, बैंक खाते इत्यादि की सूचना एकत्र करना।
2. विभिन्न विभागीय डेटाबेस को भामाशाह से जोड़ने के लिए घर-घर जाकर किये गए सर्वेक्षण में शेष रहे परिवारों के बारे में सामाजिक सुरक्षा, नरेगा, राशनकार्ड, बैंक खाता, आधार एवं भामाशाह संख्या संबंधित जानकारी एकत्र करना।
3. भामाशाह में नामांकित ऐसे परिवार जिन्हें परिवार के अपूर्ण नामांकन के कारण लाभ वितरित नही किया जा पा रहा है को परिवार के शेष सदस्यों का नामांकन निकटतम ई-मित्र/अटल सेवा केन्द्र पर करवाया जाना सुनिश्चित करना।

(सी. एस. राजन)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपिः-निम्न को पालनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
1. सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
3. समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला भामाशाह प्रबंधक, राजस्थान।
4. अतिरिक्त जिला कलेक्टर, समस्त जिला.............
5. एसीपी (उपनिदेशक), सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, समस्त जिला........
6. सहायक/उपनिदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, समस्त जिला.............
7. उपखण्ड/विकास अधिकारी, समस्त जिला.............

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव, आयोजना